

(भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनाथ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 66/2023
दिनांक: 06 मार्च, 2024

विषय: आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 2 के तहत बतख के मांस के लिए आयात नीतिगत शर्त में संशोधन।

सा.आ.(अ): समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित और विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित और धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 2 के आईटीसी (एचएस) कोड 02074200 और 02074500 के तहत निम्नलिखित मदों की आयात नीतिगत शर्त में निम्नानुसार संशोधन करती है:

एकिजम कोड	मद विवरण	आयात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
02074200	-बतखों का : — टुकड़ों में कटा हुआ नहीं, प्रशीतित	मुक्त	—	डीएचडी का.ज्ञा. सं. एल-110109(3)/1/2016 व्यापार (ई-2625) दिनांक 22.02.2024 के अनुसार और राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 13/2024-सीमाशुल्क दिनांक 06.03.2024 के तहत होटल और रेस्तरां को आपूर्ति के लिए प्रीमियम बतख मांस का आयात 'प्रतिबंधित' होगा। दिए गए आईटीसी (एचएस) कोड के तहत अन्य आयात 'मुक्त' होंगे।
02074500	-बतखों का : — अन्य, प्रशीतित	मुक्त	—	डीएचडी का.ज्ञा. सं. एल-110109(3)/1/2016 व्यापार (ई-2625) दिनांक 22.02.2024 के अनुसार और राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 13/2024-सीमाशुल्क दिनांक 06.03.2024 के तहत होटल और रेस्तरां को आपूर्ति के लिए प्रीमियम बतख मांस का आयात 'प्रतिबंधित' होगा। दिए गए आईटीसी (एचएस) कोड के तहत अन्य आयात 'मुक्त' होंगे।

अधिसूचना का प्रभाव: डीएचडी का.ज्ञा. सं. एल-110109(3)/1/2016 व्यापार (ई-2625) दिनांक 22.02.2024 के अनुसार और राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 13/2024-सीमाशुल्क दिनांक 06.03.2024 के तहत होटल और रेस्तरां को आपूर्ति के लिए प्रीमियम बतख मांस का आयात 'प्रतिबंधित' होगा। दिए गए आईटीसी (एचएस) कोड के तहत अन्य आयात 'मुक्त' होंगे।

इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संतोष कुमार सारंगी
6.3.2024

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई-मेल: dgft@nic.in